

प्रदूषण पर लगानी होगी लगाम

चन्दन कुमार चौधरी

प्रदूषण दुनियाभर में हाल के दिनों में एक गंभीर समस्या बन कर उभरी है. विश्व स्वास्थ्य संगठन की ओर से हाल ही में जारी दुनिया के 20 सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों में भारत के नौ शहरों का नाम शामिल था. सुप्रीम कोर्ट और संसद तक प्रदूषण के मुद्दे पर गंभीर चिंता जाता चुकी है. देश में प्रदूषण कम करने को लेकर सरकार लगातार प्रयास करती रही है. बावजूद इसके देश में प्रदूषण का कोई ठोस और स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है.

प्रदूषण क्या है?

पर्यावरण में दूषित पदार्थों के मिलने के कारण प्रकृति में होने वाले बुरे परिणाम को प्रदूषण कहते हैं. प्रदूषण से ना केवल पर्यावरण, इंसान, जीव-जंतुओं को तत्काल नुकसान पहुंचता है बल्कि यह भविष्य के लिए भी काफी हानिकारक होता है.

प्रदूषण के प्रकार

वैसे तो प्रदूषण कई तरह का होता है लेकिन मुख्य रूप से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण से इंसान और जीव जंतु सबसे अधिक प्रभावित होते हैं. इन प्रदूषणों में इस समय देश जिस प्रदूषण से सबसे अधिक प्रभावित और जूँझ रहा है, वह है वायु प्रदूषण. दरअसल, केमिकल और अन्य सूक्ष्म कणों के मिश्रण के कारण वायु प्रदूषण होता है. कार्बन मोनोआक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरो-कार्बन और फैटक्टरी एवं मोटर वाहनों से निकलने वाले नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण वायु प्रदूषण होता है. सांस के जरिए प्रदूषित हवा के इंसानों के फेफड़ों में जाने से कई बीमारियां होती हैं.

राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस

भारत में दो दिसंबर को राष्ट्रीय प्रदूषण नियंत्रण दिवस मनाया जाता है. यह दिवस भोपाल गैस त्रासदी में जान गंवाने वालों की याद में मनाया जाता है. 1984 में दो-तीन दिसंबर की दरमानी रात में भोपाल गैस त्रासदी की घटना हुई थी. उस घटना में बहुत सारे लोगों की मौत मिथाइल आइसोसाइनेट नामक जहरीली गैस के कारण हुई थी.

वायु प्रदूषण के कारण

वैसे तो वायु प्रदूषण के कई कारण हैं लेकिन देश में हर साल दीपावली के दौरान प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. इस समयावधि के दौरान देश की राजधानी दिल्ली के आसपास प्रदूषण बढ़ने का मुख्य कारण दिवाली के दौरान पटाखे चलाना और पंजाब और हरियाणा के किसानों का पराली जलाना है. इसके अलावा बड़े और भारी वाहनों से होने वाले प्रदूषक तत्वों के उत्सर्जन, दिल्ली एनसीआर में हो रहे भारी निर्माण कार्य के कारण भी प्रदूषण बढ़ता है.

साथ ही इस दौरान मौसम में ऐसा परिवर्तन होता है जिससे हवा में प्रदूषण के कण फंस जाते हैं.

पटाखों का असर

दीपावली के दौरान देश में प्रदूषण तेजी से बढ़ता है और पटाखों के कारण हवा में कुछ तत्व तेजी से बढ़ जाते हैं. इन तत्वों में पीएम 10, सल्फर डायऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, आयरन, मैग्नीज, बैरिलियम, निकेल शामिल हैं. देश का केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का भी मानना है कि पटाखों से 15 ऐसे तत्व निकलते हैं जिन्हें इंसानों के शरीर के लिए खतरनाक और जहरीला माना जाता है. हालांकि इस बात से भी इंकार नहीं किया जा सकता है कि इनमें से बहुत सारे तत्व गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में भी पाए जाते हैं.

पराली - दीपावली के त्योहार के दौरान दिल्ली और आसपास के इलाकों में पड़ोसी राज्य पंजाब-हरियाणा, हिमाचल प्रदेश के किसानों द्वारा पराली जलाए जाने के कारण प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ जाता है. सरकार, किसानों को पराली जलाने से रोकने के लिए काफी प्रयास कर रही है और पराली नहीं जलाने के एवज में मुआवजे देने की पेशकश की है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन - विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुताबिक, दुनिया में हर साल नौ लाख लोग से ज्यादा लोग वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों के कैंसर से मर जाते हैं. आज की तारीख में 25 से 30 की उम्र में फेफड़ों का कैंसर हो रहा है. करीब 25-30 साल पहले फेफड़ों के कैंसर से जूँझ रहे लोगों में से 80 फीसदी लोग धूम्रपान करने वाले होते थे लेकिन अब यह आंकड़ा 50-50 का हो गया है. वास्तव में प्रदूषित हवा में वही रसायन होता है जो कि एक सिगरेट में होता है और यह सर्वविदित तथ्य है कि सिगरेट पीने से कैंसर होता है.

विश्व स्वास्थ्य संगठन की 'एयर पॉल्यूशन एंड चाइल्ड हेल्थ: प्रेसक्राइबिंग क्लीन एयर' नाम की एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक, साल 2016 में पांच साल से कम उम्र के एक लाख से अधिक बच्चों की मौत प्रदूषण के कारण हुई. इस रिपोर्ट में बताया गया कि हवा में मौजूद पार्टिकुलेट मैटर (पीएम) 2.5 के कारण पांच साल की उम्र के बच्चों की सबसे ज्यादा मौतें भारत में हुईं.

लांसेट की रिपोर्ट- लांसेट 2019 की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि अगर ग्लोबल वार्मिंग को रोका नहीं गया और दुनिया इसी तरह से आगे बढ़ती रही तो 71 साल के बाद दुनिया के तापमान में चार डिग्री की बढ़ोत्तरी हो जाएगी. ऐसे में लू के कारण बीमारियां बढ़ेंगी, अनाज की पैदावार कम होंगी और स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं में इजाफा होगा. इतना ही नहीं बढ़ते जलवायु परिवर्तन का असर आर्कटिक सागर की सबसे पुरानी और मोटी बर्फ की चादर पर भी पड़ने लगा है. इस इलाके को 'लास्ट

आइस एरिया' के नाम से भी जाना जाता है. एक अध्ययन में पता चला है कि ग्रीनलैंड के उत्तर में मौजूद आर्कटिक सागर की बर्फ अब दोगुनी तेजी से पिघल रही है. एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक अगर यही हाल रहा तो 2030 की गर्मियों तक 'लास्ट आइस एरिया' से बर्फ गायब हो सकती है.

समुद्री जलस्तर- सरकार ने हाल ही में संसद में बताया है कि पिछले पांच दशकों में भारतीय तट पर समुद्र के जल स्तर में 8.5 सेंटीमीटर की बढ़ोत्तरी हुई है. केन्द्रीय मंत्री बाबूल सुप्रियो ने राज्यसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि समझा जाता है कि भारतीय तट पर हर साल समुद्र का जलस्तर औसतन 1.70 मिमी बढ़ता है. इस तरह पिछले 50 साल में भारतीय तट पर समुद्र का जल स्तर 8.5 सेंटीमीटर बढ़ा है. इतना ही नहीं, दूसरी तरफ केंब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पता लगाया है कि जलवायु परिवर्तन के कारण मीठे पानी की झीलों द्वारा उत्सर्जित होने वाली ग्रीनहाउस गैसों का स्तर 1.5 से 2.7 गुना तक बढ़ सकता है.

गर्भ के बच्चे पर असर- हमें समझना होगा कि प्रदूषण के कारण ना केवल जन्म ले चुके बच्चे बल्कि गर्भ में पल रहे बच्चों पर भी बुरा असर पड़ता है. रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण के कारण समय से पहले डिलीवरी, जन्म से ही शारीरिक या मानसिक दोष, कम वजन और मौत तक हो सकती है.

अदालतें - प्रदूषण की गंभीर स्थिति ने सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को भी चिंता में डाल दिया है. ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली के सबसे प्रदूषित इलाकों में चीन की तरह बड़ी क्षमता का एयर फ्यूरीफायर लगाने के लिए रोडमैप देने को कहा है. साथ ही वाहनों के तेल में किरोसीन की मिलावट को रोकने के लिए औचक जांच का निर्देश भी दिया है. इसके अलावा ऐसी तकनीक तलाशने का निर्देश भी दिया है कि इस तरह ज्यादा रेंज तक हवा साफ हो सके. न्यायालय ने सरकार को कम समय में उपकरण लगाने के मामले में स्टडी करने का निर्देश भी दिया. हमें समझना होगा कि चीन में 10 किलोमीटर तक प्रदूषण कम करने का उपकरण है.

संसद में चर्चा - दिल्ली-एनसीआर में सदियों के मौसम में प्रदूषण की गंभीर स्थिति का सामाधान निकालने के लिए संसद में भी चर्चा हुई. साथ ही दिल्ली में प्रदूषण से राहत पर विचार के लिए पर्यावरण से जुड़ी संसदीय समिति की भी बैठक हुई है.

एनजीटी का पहल

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने हाल ही में देश के 25 से ज्यादा राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को प्लास्टिक कचरे के निपटन करने का तरीका न बताने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को एक-एक करोड़

रुपये का जुर्माना चुकाने का आदेश दिया था. इसके अलावा, पूर्व में कई अहम फैसलों में एनजीटी ने देश की राजधानी दिल्ली सहित कई इलाकों में प्लास्टिक के बैग पर प्रतिबंध लगाने और इसका उल्लंघन करने पर जुर्माने का प्रावधान किया है. इतना ही नहीं हरित अधिकरण ने चुनाव के दौरान प्लास्टिक के प्रचार समितियों पर भी प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया है. एनजीटी ने हाल ही में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया है जो इस बात का पता लगाएगी कि क्या खाद्य उत्पादों की प्लास्टिक पैकेजिंग को सीमित करने के लिये और मानदंडों की आवश्यकता है.

पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की पहल - पर्यावरण एवं वन मंत्रालय ने सभी राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों और मुख्य चुनाव अधिकारियों से पत्र लिखकर अपथित हो जाने वाले प्लास्टिक, प्राकृतिक रेशे, पुनर्जीकृत कागज और अन्य पर्यावरण अनुकूल सामग्री का इस्तेमाल करने को कहा है. इतना ही नहीं, मंत्रालय से हाल ही में स्कूलों को निर्देश दिया गया था. इसके बाद विद्यालयों ने सर्कलर जारी कर छात्रों को प्लास्टिक की बोतल, खाने के डिब्बों आदि से दूर रहने को कहा है.

कितना प्लास्टिक- प्लास्टिक ओशियन संस्था की रिपोर्ट के मुताबिक, पूरी दुनिया में हर साल 300 मिलियन यानी 30 करोड़ टन से ज्यादा प्लास्टिक का उत्पादन हो रहा है. इसमें से आधा प्लास्टिक डिस्पोजेबल चीजों के लिए इस्तेमाल किया जाता है यानी एक बार इस्तेमाल के बाद फेंक दिया जाता है. नतीजा ये होता है कि हर साल 80 लाख से 1 करोड़ टन तक प्लास्टिक वेस्ट समुद्रों में जाता है. वैज्ञानिकों का तो यहां तक दावा है कि प्लास्टिक को नष्ट होने में 700 साल का समय लगता है.

मो